18/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप है। पूर्व आदेशानुसार वकील पक्षकारान उप है। पत्रावली दिनांक 27/9/22 को पेश

27/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप है। वकील वादी अपना वाद आगे नहीं चलाना चाहता है तथा not press के आधार पर खारिज करवाना चाहता है जिस पर खारिज करवाना किया जाता पत्रावली का अवलोकन किया जाता वादी का वाद अवलोकन करने के पश्चात वादी का वाद not Press से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर संख्या के अनुसार आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाता।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2022.12.28 14:44:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner